प्राक्कथन

यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1984 में यथा संशोधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किया गया है। यह लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 और निष्पादन लेखापरीक्षा दिशा-निर्देश, 2014 के अनुरूप की गई है।

इस प्रतिवेदन में आईएफसीआई लिमिटेड (पूर्व में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम) में ''क्रेडिट जोखिम प्रबंधन'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम निहित हैं। संपूर्ण प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा राशियां न स्वीकारने वाले एनबीएफसी उद्योग की तुलना में आईएफसीआई की परिसंपत्ति गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई जिससे आईएफसीआई लिमिटेड में वसूली तंत्र, क्रेडिट मूल्यांकन की मौजूदा प्रणाली तथा आईएफसीआई की सामान्य उधार नीति के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन का अध्ययन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। लेखापरीक्षा जांच में ऋण संस्वीकृति के दौरान क्रेडिट मूल्यांकन, प्रतिभूति कवरेज, ऋण वसूली की निगरानी, बट्टे खाते डाले गए ऋण, ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण, इक्विटी में निवेश आदि शामिल थे। प्रतिवेदन में क्रेडिट मूल्यांकन, ऋण की संस्वीकृति तथा संवितरण, आईएफसीआई की सामान्य उधार नीति और आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कमियों, जिसके कारण 31 मार्च 2016 तक अनर्जक परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई, पर प्रकाश डाला गया है।

लेखापरीक्षा वित्त मंत्रालय और आईएफसीआई लिमिटेड से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।